

# हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड



## पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना

## विषय सूची

भाग / खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	प्रस्तावना	3
खण्ड-I	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी विषयों की सूचना	5
खण्ड-II	परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना	7
खण्ड-III	परिभाषा	10
खण्ड-IV	सामाजिक प्रभाव आकलन	16
खण्ड-V	परियोजना प्रभावित बेघर व भूमिहीन हुए परिवारों के लिए कल्याण अनुदान व सुविधाओं की स्वीकृति	18

## राहत एवं पुनर्वास योजना

### प्रस्तावना:

बिजली सामाजिक आर्थिक विकास और नई वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयासों के लिए अति महत्वपूर्ण है। देश के स्थायीपरक विकास हेतु जल विद्युत विकास अनिवार्य है। हिमालय क्षेत्र में अभी भी बड़े पैमाने पर बिजली क्षमता असंदोहित है जो राष्ट्र के कुल बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। हि.प्र. सरकार इस श्रम साध्य कार्य को पूर्ण करने के लिए वचन बद्ध है तथा राज्य की लगभग 21,000 मैगावाट जल विद्युत क्षमता का संदोहन करने हेतु पूरा प्रयत्न कर रही है।

हि. प्र. एक पर्वतीय राज्य है जो देश के उत्तर में स्थित है। राज्य की भौगोलिक स्थिति भी विविधता पूर्ण है यह ऊंची पर्वतमालाएं के साथ गहरी उपत्यकाओं, गहरी व घाटियों से लेकर उत्तर पूर्व में उर्वर गंगाई मैदान क्षेत्र है। सामान्य ऊंचाई मुख्य समुद्र तल से 350 मीटर से लेकर 6975 के मध्य है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली पांच प्रमुख नदियों से यह जल संपन्न प्रदेश इनमें पश्चिमी हिमालय से उद्भूत होकर प्रदेश से बहने वाली ये नदियां हैं, चिनाव, रावी, व्यास सतलुज तथा यमुना। हिमपोषित ये नदियां व इन सहयोगी नदियां वर्ष पर पानी के बहाव के कारण बिजली उत्पादन के लिए संदोहित की जा सकती है। सभी नदी प्रवाह क्षेत्र व घाटियां सड़कों, अन्य संचार नेटवर्क तथा सशक्त सामाजिक ढांचे यथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़े हुए हैं।

### परियोजना पर एक दृष्टि:

(सम्बन्धित परियोजना का विवरण यहां दिया जाएगा)

## परियोजना के महत्वपूर्ण पक्ष

(परियोजना के महत्वपूर्ण पक्षों का विस्तृत विवरण यहां दिया जाएगा)

1. स्थल
2. जलीयता (जल वयवस्था)
3. नदी विस्थापन कार्य
4. मुख्य बांध/डैम
5. जलाशय/उछाल जल भण्डार
6. निश्कासन मार्ग/नलिकाएं
7. अतिजल/बाढ़ जला निकासी मार्ग
8. बिजली घर संकल/काम्पलैक्स/परिसर
9. बिजली प्रेशण लाइनें
10. विद्युत उत्पादन
11. लागत-अनुदान
12. वित्तिय पहलू

## भाग-I

### परियोजना के सन्दर्भ में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना संबंधी सूचना का विवरण।

1. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना संबंधी निम्नलिखित विशेष जानकारी/सूचना सम्बन्धित परियोजना के सन्दर्भ में यहां दी जाएगी:
  - क) अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा/ विस्तार और प्रभावित होने वाले व्यक्ति (यों) व गांवों का विवरण
  - ख) परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की ग्राम, परिवार व उनके पास भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति सूची तथा परियोजना अधिग्रहण से उनके द्वारा खोई जाने वाली भूमि तथा अचल सम्पत्ति की सर्वक्षण संख्या सहित जानकारी।
  - ग) इन क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की सूची तथा ऐसे लोगों का विवरण जिनकी आजीविका कृषीय गतिविधियों पर आधारित है।
  - घ) ऐसे लोगों की सूची जिन्होंने किसी अन्य कारण में अपना रोजगार/आजीविका खो दी है या वे अपने मुख्य व्यवसाय स्रोत/ व्यापार व्यवसाय अथवा कार्य से परियोजना द्वारा भूमि अधिगृहीत किये जाने से आंशिक या पूर्ण से अनैच्छिक रूप से अलग/ दूर हो गए हों।
  - ड.) गैरकृषीय श्रमिकों व दस्तकारों की सूची
  - च) भूमिहीन प्रभावित परिवारों जिनमें घर हेतु भूमि विहीन तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग भी शामिल है उनकी सूची
  - छ) सम्मानित प्रभावित लोगों की सूची
  - ज) बस रहे लोग यदि कोई हो तो उनकी सूची।

- झ) सार्वजनिक सुविधाओं/ सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हो या प्रभावित होने की आशंका हो।
- ज) निजी एवं सार्वजनिक सम्पति, परिसम्पतियां व आधारभूत ढांचे का विवरण।
- त) प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाले लाभ व पैकेजों की सूची।
- थ) पुनर्स्थापना क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का विवरण जो प्रभावित परिवारों को आबंटन हेतु उपलब्ध हो।
- द) पुनर्स्थापना हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा ढांचे का विवरण।
- ध) पुनर्स्थापना क्षेत्र में विस्थापित परिवारों को स्थानान्तरित व पुनः स्थापित करने संबंधी समय सूची, और
- न) ऐसे अन्य विवरण जिन्हें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रशासक आवश्यक समझे।

## भाग— II

### परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना

2.1 चूंकि.....परियोजना निर्माण हेतु सरकारी भूमि के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर निजी भूमि को भी अधिग्रहीत करने की आवश्यकता है। इस निजी भूमि के अधिग्रहण से काफी परिवार प्रभावित होंगे। परियोजना कार्य में भूमिगत कार्य, भारी मात्रा में सामग्री की ढुलाई तथा बांध निर्माण से अनेक गांवों का जलविलय और दूसरी अनेक गतिविधियां होंगी अतः इन सबके परिणामस्वरूप क्षेत्र में बसने वाले लोगों पर इनके प्रभाव पड़ेंगे। हि.प्र. विद्युत निगम लिमिटेड परियोजना निर्माण से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निवारण के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का भी प्रयत्न करेगा।

और चूंकि परियोजना प्रभावित व भूमिविहीन परिवारों (अन्य परिवार जो परियोजना के निर्माण चरणों में प्रभावित होंगे) का हित रक्षण करने हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी योजना बनाई गई है। जिसमें पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास संबंधी पर्याप्त प्रबन्धों का प्रबन्धन एतदर्थ किया गया है। अतः अब हि.प्र. विद्युत निगम लिमिटेड ने.....जिला स्थित.....  
..परियोजना निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत ग्रहित भूमि के परिणामस्वरूप पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना प्रस्तावित की है। यह प्रस्ताव हि.प्र. सरकार द्वारा घोषित अधिसूचना संख्या दिनांक 27.04.06 नम्बर No. Rev (PD) F (5) - 1/1999 तथा राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 एवं राष्ट्रीय जल नीति 2008 की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

## 2.2 प्रयोजन:

2.2.1 परियोजना निर्माण से प्रतिकूल प्रभावित परिवारों की क्षति पूर्ति।

- 2.2.2. क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को अच्छे आधारभूत ढांचे, स्थायी आय तथा बेहतर कौशल से उन्नत करना तथा क्षेत्र व लोगों के विकास में सहभागिता।
- 2.2.3 संगठन के प्रति लोगों में सद्भावना विकास व लम्बी अवधि तक अच्छे सम्बंधों की स्थापना।
- 2.2.4 समाज व व्यक्तियों और विशेष कर कमजोर वर्गों के लोगों के हितों का संरक्षण

### **2.3 बुनियादी मुद्दे व पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (पु0पु0) योजना की आवश्यकता:**

हालांकि भूमि अधिग्रहण न्यूनतम स्तर पर किया जाएगा तथा बहुत अधिक लोग विस्थापित नहीं होंगे तथापि अनेक अवसरों पर यह अपरिहार्य हो जाता है। परन्तु इस प्रकार की परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रभावित परिवारों की तरफ ध्यान दिया जाये और देख-रेख की जाए। भूमि अधिग्रहण से सामान्यतः भू-प्रयोग संबंधी बदलाव आते हैं और लोगों का आर्थिक आधार विखण्डित हो जाता है। इस पुर पु0पु0 योजना इस उद्देश्य के साथ बनाई जाती है कि भूमि विहीन हो गए परिवारों या जिनकी भूमि/घर/दुकान अधिग्रहित की गई है उनका पुनर्स्थापन व पुनर्वास किया जाए, यह पु0पु0 इस प्रकार हो कि वे कम से कम अपने पूर्व जीवन स्तर, आय क्षमता तथा उत्पादन स्तर में सुधार करें या उसे बनाए रखें। साथ ही यह भी प्रयत्न हो कि यह अन्तरण-अन्तराल तथा संभव न्यूनतम हो।

प्रभावी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना से परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ सौहार्द संबंध बनाए रखे जा सकते हैं तथा यह परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक भी है। यह आमतौर से पाया गया है कि भू-अधिग्रहण अनैच्छिक ही होता है तथा परियोजना प्रभावित परिवार (प0प्र0प0) को नए परिवेश में काफी कठिनाईयां सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार के अन्तरण में ग्रामीण पर्यासीय आर्थिकी को सामान्यतः ऊंचे खर्च वाली जीवन शैली में बसना पड़ता है। जिससे पारम्परिक आय स्रोतों में कमी हो जाती है। सारांशत (प0पु0प0) को नई जीवन शैली में अभ्यस्त होने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ती है।

प्रभावित परिवारों का ग्रामीण परिवेशीय जीवन शैली तथा भूमि प्रयोग का घरेलु तरीका भी काफी प्रभावित हो जाता है।



## 2.4 राहत पुनर्वास नीतियाः

- प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार द्वारा खोई गई परिसम्पत्ति/भूमि के प्रतिस्वरूप पर्याप्त एवं समुचित क्षति पूर्ति सुनिश्चित होगी।
- परियोजना प्रभावित क्षेत्र की स्थानीय जनता को वजीफा, प्रायोजित परामर्श आदि के द्वारा परामर्श तथा मार्गदर्शन देकर बेहतर जीवन यापन, परिस्थितियों तथा आजीविका का प्रबन्ध होगा, साथ ही सामान्य व्यवसाय तथा कृषि व वानिकी में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- परियोजना क्षेत्र में सड़कों, रास्तों, पुलों, जलापूर्ति, तथा सिंचाई के कार्य लोगों की सहभागिता व सामुदायिक विकास कार्यों के माध्यम से आधारभूत ढांचा विकसित कर सामान्य विकास हेतु किए जाएंगे।
- स्थानीय लोगों को स्व-रोजगार योजना एवं परियोजना गतिविधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।
- जनता के साथ नियमित बैठकों, जन सूचना केन्द्रों, मुद्रित सामग्री, PAF पहचान कार्डों तथा उत्सवों द्वारा सम्पर्क बनाए रखना।
- अत्यधिक कठिनाईयों में प्रत्यक्षतः सहायता।

## **खण्ड III**

### **परिभाषा**

3.1 .....परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु यह योजना हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना कहलाई जाएगी। अतः पश्चात इसे....परियोजना हेतु पु0पु0 योजना नाम से विहित किया जाएगा। इस योजना को जिला.....की..... तहसील में निर्मित की जाने वाली.....परियोजना के सम्पूर्ण प्रभावित या प्रभाव की आशंक वाले क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा। जिस पंचायत या पंचायतों जहां भूमि अधिग्रहीत की जाती है या भूमिगत कार्य किया जाता है वे एक इकाई होगी तथा इस परियोजना प्रभावित क्षेत्र में शामिल होंगी।

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्मित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के राहत कार्य की देखरेख हेतु नियुक्त आयुक्त पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास की प्रभावित परिवारों के कल्याण कार्य के आयुक्त भी होंगे ताकि उनके निर्देश व देख-रेख में कल्याण कार्य किए जा सकें।

जिस जिला उपायुक्त के कार्य अधिकार क्षेत्र में यह परियोजना स्थित होगी वे इस कल्याण कार्यक्रम के प्रशासक भी होंगे ताकि उनक पर्यवेक्षण में कल्याण कार्य पूरे किए जा सकें।

### **3.2 परिभाषायें:**

#### **3.2.1 परिवार:**

भू- अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिसूचना तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में शामिल पति पत्नि जो राजस्व रिकार्ड में भूमि के सह स्वामी/स्वामी दर्ज हो, उनके बच्चे, सौतेले व गोद लिए बच्चे/दत्तक, पौत्र, भाई, बहिन, माता-पिता जो उनके साथ संयुक्त परिवार में रह रहे हों।

**(स्पष्टीकरण):** भूमि अधिग्रहण नियम 1894 (धारा-4) द्वारा अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों को ही पुनर्वास लाभ हेतु अलग परिवार तथा रोजगार हेतु अलग परिवार माना जाएगा।

### 3.2.2. परियोजना प्रभावित परिवार (प0प्र0प0)

1. ऐसा परिवार जिनका मूल आवास या सम्पति या आय स्रोत परियोजना हेतु भूअधिग्रहण या अनैच्छिक विस्थापन या अन्य कारणों से प्रतिकूल प्रभावित होता है। या
2. कोई लम्बी अवधि से रहने वाला, किराएदार, सम्पति का स्वामी या पट्टेदार जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण (आबादी में भूखण्ड या अन्य सम्पति) या अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से विस्थापित या अन्य सम्पति से विहीन हो या
3. कोई भी कृषि या गैर कृषि श्रमिक, भूमिविहीन व्यक्ति (जिसके पास गृह-भूमि नहीं हो, कृषि भूमि न हो या इनमें से कुछ भी न हो), ग्रामीण दस्तकार, छोटे व्यापारी या स्वरोजगार में लगे लोग, अन्य लोग जो किसी व्यवसाय, कार्य, रोजगार आदि में परियोजना क्षेत्र घोषित होने से 3 साल पूर्व इस कार्य में रत हो, तथा वे परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण या अनैच्छिक विस्थापन या अन्य कारण से अपने रोजगार, आजीविका से वंचित हो, आंशिक या पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय, व्यापार या कार्य से अलग हो गए हैं।

**स्पष्टीकरण:** घोषणा की तिथि, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (4) अथवा धारा 4 की अधिसूचना की हो वह ही मानी जाएगी। जो लोग परियोजना क्षेत्र में भू-स्वामी हैं उन पर (प0प्र0प) हेतु 3 साल के निवास की शर्त लागू नहीं होगी। संबंधी जिला उपायुक्त द्वारा ही निवास की 3 वर्ष की शर्त जीवन एवं आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का निश्चय किया जाएगा।

### 3.2.3 मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार

मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार जिन परिवारों की भूमि या भवन परियोजना हेतु अधिग्रहीत किया जा रहा हो उन्हें मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार कहा जाता है।

### 3.2.3 क) मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार जो भूमि विहीन हो गए हो

मुख्य (प0प्र0प0) भूमिविहीन से तात्पर्य है जिनकी सारी कृषि योग्य जमीन परियोजना हेतु अधिग्रहीत हो गई हो या फिर अधिग्रहण से शेष भूमि 5 बीघा से कम हो/इस उद्देश्य हेतु परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवार के सभी सदस्यों द्वारा स्वामित भूमि भी गणित की जाएगी। भवनों व भूमि पर बने ढांचों के मालिकों की परिसम्पतियों के अधिग्रहण को परियोजना प्रभावित भूमि विहीन परिवार के रूप में नहीं माना जाएगा। इन भूमिविहीन (प0प्र0प0) का विधिवत प्रमाणन सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधीश द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार भूमिविहीन (प0प्र0प0) घोषित करने हेतु इन परिवारों की या उनमें से किसी की भी परियोजना क्षेत्र से बाहर भूमि को भी शामिल किया जाएगा। इन भूमि विहीन परिवारों की व्याख्या हि.प्र. सरकार द्वारा दिये गये उपवादों के आधार पर होगी अतः यदि हि.प्र. सरकार इनमें कोई बदलाव करती है तो यह परिवार व्याख्या भी बदल जाएगी। प्रचालित व्याख्या अधिसूचना की धारा 4 के अन्तर्गत प्रचालित नियमों के आधार पर होगी।

### 3.2.3 ख) मुख्य परियोजना प्रभावित बेघर परिवार

मुख्य परियोजना प्रभावित बेघर परिवार से तात्पर्य है ऐसा परिवार जिसका आवासीय घर परियोजना हेतु अधिग्रहण हो जिसकी विधिवत घोषणा सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा की जाएगी।

3.2.3 ग) इसके अलावा (उपरोक्त 2 श्रेणियों के) कुछ अन्य परियोजना प्रभावित परिवार भी होंगे जिनकी सम्पूर्ण जमीन व घर अधिग्रहीत होने से वे भूमिहीन व बेघर हो गए

हो जैसा कि उपर स्पष्ट है। यह परिवार भूमि विहीन परियोजना प्रभावित परिवार व बेघर परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए उपलब्ध लाभ हेतु पात्र होंगे। इसकी विधिवत घोषणा भी उपायुक्त द्वारा की जाएगी।

**3.2.3 घ) मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार (शा0) (केवल रेणुका बांध परियोजना के सम्बन्ध में लागू)** चरागाहों तथा परतीभूमि, आसपास के गांवों का वन भाग, नदी की तलहटियां, सिंचाई चैनल तथा आम रास्ते जिन पर ग्रामीणों का संयुक्त स्वामित्व होगा और यदि उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों का परियोजना द्वारा, परियोजना सम्बन्धी कार्य के लिए अधिग्रहण किया जाता है तो उक्त ग्रामीणों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार (शामलात) घोषित किया जाएगा।

मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार (शा0)—श्रेणी निम्नलिखित के अधिकारी होंगे :-

क) अनुदान के लिए।

ख) अन्य लाभ जैसे छात्रवृत्ति तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रायोजित प्रवेश के लिए उन्हें परियोजना प्रभावित परिवारों के बाद रखा जाएगा

**मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार—शामलात, यद्यपि बाहर होगा।**

1) रोजगार लाभ

2) कृषि के लिए भूमि

### **3.2.4 परियोजना प्रभावित क्षेत्र**

परियोजना प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य है परियोजना आदेशक द्वारा अधिशासित क्षेत्र अथवा परियोजना के किसी घटक निर्माण हेतु अधिग्रहीत क्षेत्र अथवा जलमग्न होने वाले क्षेत्र, या फिर शहर बसाने, सुविधा निर्माण कल्याण आदि कार्यों के लिए भूमि अथवा भूमिगत परियोजना कार्य हेतु अधिग्रहीत भूमि क्षेत्र/परियोजना प्रभावित क्षेत्र घोषणा हेतु पंचायत एक ईकाई होगी।

### **3.2.5 परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र**

परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र में परियोजना आदेशक द्वारा अधिसूचित या परियोजना क्षेत्र एवं परियोजना प्रभावित क्षेत्र के साथ का क्षेत्र जहां जनता पर प्रभाव आशंकित हो भले

ही प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, ऐसे सारे क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इसके लिए भी इकाई पंचायत ही होगी।

**स्पष्टीकरण:** परियोजना प्रभावित क्षेत्र में केवल वहीं पंचायतें आएगी जहां वास्तविक (सतही एवं भूमिगत) परियोजना कार्य व परियोजन जलाशय से जलमग्न क्षेत्र हो। इसके साथ लगती पंचायतें भी भारी वाहन आवागमन तथा ब्लास्टिंग—विस्फोटन व धूल आदि से प्रभावित हो सकती है। इन्हें परियोजना प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए परियोजना नियम यह है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र से ½ से 1 कि.मी. का क्षेत्र परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र माना जाएगा।

**3.2.6 'कृषीय श्रमिक'** से तात्पर्य उन वाशिंगों से है जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र अधिसूचना से कम से कम 3 साल से अधिक समय से आवासी हो तथा उनकी कोई भूमि न हो परन्तु वे मुख्यतः कृषि व्यवस्था/श्रम से ही अपनी आजीविका कमाते हो तथा अधिग्रहण से वे अपनी आजीविका से वंचित हो गए हो।

**3.2.7 'कृषि भूमि'** से तात्पर्य है कि भूमि निम्न प्रयोग में हो

1. कृषि या वानिकी
2. दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन या औषधीय पौधे की नर्सरी
3. फसल उगाने, घास या बगीचा उत्पादन, और
4. कृषक द्वारा पशु चराई हेतु भूमि प्रयोग परन्तु वह भूमि नहीं जो पूर्व केवल लकड़ी काटने हेतु ही हो,

**3.2.8 'समुचित सरकार; अर्थात् राज्य सरकार**

**3.2.9 'परियोजना आदेशक'** अर्थात् हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड

**3.2.10 BPL परिवार—BPL** अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वे परिवार जिनकी पहचान योजना आयोग द्वारा की गई है तथा जिन्हें समय-समय पर इस सूची में शामिल किया जाता है।

- 3.2.11 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु प्रशासक** से तात्पर्य है राज्य सरकार का वह अधिकारी जो जिला समाहर्ता से कम पद श्रेणी का न हो तथा जिसकी नियुक्ति प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु की गई हो, सामान्यतः यह उस जिला का उपायुक्त होता है जिसमें परियोजना स्थित हो या अधिकांश संभाग उसी जिला में हो।
- 3.2.12 'पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना आयुक्त'** से तात्पर्य है जो राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु नियुक्त किया गया हो यह न्यूनतम आयुक्त या समकक्ष रैंक (पद) का सरकारी अधिकारी होना चाहिए।
- 3.2.13 'DDP खण्ड'** से तात्पर्य है भारत सरकार के मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत चिन्हित खण्ड।
- 3.2.14 भू-स्वामित्व:** अर्थात् कुल भूमि जो एक व्यक्ति द्वारा आवसीय किरायादार या दोनों ही रूपों में स्वामित्व में हो।
- 3.2.15 'खातेदार:** वह व्यक्ति जिसके नाम पर यह भूमि का टुकड़ा, राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो।।
- 3.2.16 'भूमि-अधिग्रहण'** से तात्पर्य है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (1894 का 1) तथा समय-समय पर इसके संशोधन या राज्य केन्द्र के अन्य नियमों जो प्रचालन में हो के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण करना।
- 3.2.17 'सीमान्त किसान'** वह किसान जिसके पास गैर सिंचित 1 हैक्टेयर का जमीनी टुकड़ा अथवा सिंचित भू-खण्ड 1/2 हैक्टेयर तक हो।
- 3.2.18 'गैर कृषीय श्रमिक'** ऐसा श्रमिक जो कृषि श्रमिक न हो परन्तु जो मुख्यतः परियोजना प्रभावित क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र घोषित होने के तिथि के 3 साल पहले से या अधिक समय से निवास कर रहा हो तथा उसके पास इस क्षेत्र में कोई जमीन न हो परन्तु जो अपनी आजीविका प्रमुख रूप से मानवीय श्रम कार्य या दस्तकारी करता रहा है और उससे वंचित हो गया हो।
- 3.2.19 'अधिसूचना'** से तात्पर्य भारत सरकार के राजपत्र या राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

**3.2.20 'कब्जी'** अर्थात वे अनुसूचित जनजाति लोग जिनके कब्जे में 13 दिसम्बर 2005 तक वन भूमि थी।

**3.2.21 'पुनर्वास क्षेत्र'** अर्थात इस उद्देश्य हेतु घोषित क्षेत्र।

**3.2.22 'लघु किसान'** ऐसा कृषक जिसके पास गैर सिंचित 2 हैक्टेयर तक भूमि हो तथा सिंचित भूमि एक हैक्टेयर हो परन्तु सीमान्त किसान से अधिक भूमि हो।



## खण्ड—IV

### सामाजिक प्रभाव आकलन (सा0प्र0आ0)

- 4.1 परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना के परिणामस्वरूप लोगों की जीवन शैली, समुदाय तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन एक स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा कराया जाएगा। यह अध्ययन मुख्य परियोजना घटक पर कार्य आरम्भ से पूर्व कराया जाएगा।
- 4.2 इस अध्ययन का क्षेत्र सार्वजनिक व सामुदायिक सम्पत्ति विशेषतः (सभी चरागाहें, वनाधिकार इत्यादि) उपलब्ध ढांचे यथा सड़कें, जल आपूर्ति, सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्सव, मेले, बिजली आपूर्ति, पूजा स्थल, श्मशान भूमि आदि सीमापस्थ गांवों के रास्ते व जल क्षेत्र पहुंच मार्गों का अन्तरण या बन्द होना, आजीविका स्रोत व भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत में कमी जैसे विषयों को शामिल करेगा।
- 4.3 सामाजिक प्रभाव आकलन (सा0प्र0आ0) की जन सुनवाई पर्यावरण प्रभाव आकलन की जन सुनवाई के साथ अथवा पृथक रूप से की जाएगी। सा0प्र0आ0 रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात यदि आवश्यकता महसूस हुई तो इस पुर्नवास एवं पुनर्स्थापना योजना को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा।
- 4.4 **आधार रेखीय सर्वेक्षण:** परियोजना क्षेत्र में एक आधार रेखी सर्वेक्षण किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्न भी शामिल होंगे:
1. क्षेत्र में रहने वाले परिवारों, उनके व्यवसाय, आय, शिक्षा, आवास संयुक्त स्रोत—संसाधनों की उपलब्धता व उन पर निर्भरता की जानकारी।
  2. उपलब्ध आधाभूत ढांचा एवं संसाधन।
  3. भू—स्वामित्व

4. परिवारों के सदस्य जो स्थायी रूप से व्यापार, व्यवसाय या रोजगार में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत हो।
5. ऐसे परिवार जिन्होंने अपना घर, कृषि, भूमि, रोजगार खो दिया है या खोने की संभावना है या इससे अलग हो गए हों या फिर अपने व्यापार, वाणिज्य, रोजगार व्यवसाय आदि से आंशिक या पूर्णतः वंचित हो गए हों।
6. कृषि या गैर कृषि श्रमिक
7. परिवार जो अनुसूचित जाति या जन जाति से संबंध रखते हो।
8. असुरक्षित वर्ग ऐसे लोग जैसे कि अपंग, अशक्त, अतिनिर्धन, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियां परित्यक्ता या 50 साल से उपर के लोग जिन्हें न तो प्रदान किया गया है और न ही तुरन्त वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सकती हो और जो अन्यथा परिवार का अंग न हो।
9. ऐसे परिवार जो भूमिहीन हो (गृहभूमि न हो, कृषि या घर बनाने हेतु भूमि न हो) तथा वे गरीबी रेखा से नीचे हो परन्तु परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परियोजना प्रभावित अधिसूचना होने की तिथि से 3 साल पूर्व से वहां निरन्तर आवासरत हो और
10. अनुसूचित जन जाति जिनके कब्जे में 13 दिसम्बर 2005 तक या पूर्व में वन भूमि का कब्जा हो।

## खण्ड V

### कल्याण अनुदान व सुविधाओं की स्वीकृति व भूमिविहीन अथवा बेघर हुए या दोनों ही प्रकार के प0प्र0प0 को अनुदान

#### 5. पुनर्स्थापना अनुदान:

5.1 ऐसे प0प्र0प0 जो भूमि अधिग्रहण से भूमिविहीन हो गए हो वे निम्न प्रकार से भूमिविहीन अनुदान हेतु पात्र होंगे:

1. परिवार जिनकी भूमि अधिग्रहण पूर्व 5 बीघा हो तथा अधिग्रहण पश्चात एक विस्वा या कृषि भूमि नहीं रह गई है उन्हें रु. 2.50 लाख एक मुश्त दिये जायेंगे।
2. परिवार जिनकी भूमि अधिग्रहण पूर्व पांच बीघा से कम हो तथा अधिग्रहण पश्चात एक विस्वा या कृषि भूमि नहीं बची हो उन्हें रु. 1.50 लाख एक मुश्त दिये जायेंगे।
3. परिवार जिनके पास अधिग्रहण के बाद शेष भूखण्ड एक विस्वा से अधिक परन्तु 2-10-0 बीघा से कम हो, उन्हें 1.00 लाख एक मुश्त दिये जायेंगे।
4. ऐसे परिवार जिनके पास अधिग्रहण पश्चात 2-10-0 बीघा से अधिक बीघा परन्तु पांच बीघा से कम भूमि हो, उन्हें रु 75,000/- एक मुश्त दिये जायेंगे।
5. अन्य परिवार जिनकी भूमि का अधिग्रहण के बाद भूमिजोत पांच बीघा से अधिक शेष रहती है तो अनुदान राशि भूमि मुआवजे के बराबर जिसकी न्यूनतम सीमा ₹ 5,000 तथा अधिकतम ₹ 50,000 होगी।

6. ऐसे परिवार जिनका पशु घर इस परियोजना क्षेत्र में अधिग्रहीत हो उन्हें एक मुश्त ₹ 10,000/- का अनुदान दिया जाएगा परन्तु यह किसी भी मामलें में ₹ 25,000/- प्रति परिवार से अधिक न होगी।
- 5.2 प्रत्येक प0प्र0प0 जो भूमि विहीन व बेघर या दोनों ही होगा उसे 150 वर्ग मीटर के आधार क्षेत्र का एक स्वतन्त्र घर दिया जाएगा। वैकल्पिक रूप से प0प्र0प0 को 250 वर्गमी. का एक भूखण्ड भी प्रदान किया जा सकता है जिस पर 150 वर्ग मी. का घर बनाया जा सकता है तथा उस पर रु 4000 प्रति वर्ग मी. निर्माण लागत की राशि भी दी जाएगी (आधार क्षेत्र के 150 वर्ग मी0 तक ही सीमित)।
- ऐसा परिवार जो न तो घर या प्लॉट हेतु विकल्प देता है परन्तु अपनी कीमत पर 150 वर्ग मी0 के आधार क्षेत्र पर घर बनाता है उसे ₹ 5000/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से निर्माण लागत दी जाएगी (150 वर्ग मी0 अधिकतम) यदि इनमें से कोई परिवार 150 वर्ग मीटर से कम आधार क्षेत्र में आबंटित प्लॉट या अपनी भूमि पर घर बनाता है तो इसकी लागत प्रतिवर्ग मीटर उसी आधार पर निश्चित की जाएगी।
- यह सुविधा दोघरी के साथ लगती भूमि में स्थित आवासीय घर (दोघरी) के अधिग्रहण पर भी लागू होगी।
- 5.3 विस्थापित दुकानदारों को परियोजना द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लैक्स में (जहां कहीं भी परियोजना द्वारा निर्मित हो) दुकानें आबंटित की जाएगी। इसके अलावा उन्हें एक मुश्त 20,000 रूपए की विस्थापन राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार से आबंटित व्यावसायिक स्थापन/दुकानें आबंटितों या उनके उत्तराधिकारी द्वारा केवल दुकान आदि के मूल व्यवसाय हेतु ही प्रयोग की जाएगी। यदि परियोजना इस प्रकार दुकानें देने में असमर्थ रहती है तो विस्थापित परिवारों को ₹ 2,00,000/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- 5.4 पुनर्वास कॉलोनी में पानी, मल, निकासी, नालियां, बिजली, गलियां, समुदाय केन्द्र, हरित क्षेत्र, पार्क, आवाजाही सड़कें आदि आधारभूत सुविधाएं परियोजना अपनी लागत से बनवाएगी।
- 5.5 जैसे ही पुनर्वास कॉलोनियां तैयार होगी सभी प0प्र0प0 व विस्थापित दुकानदारों को पुनर्वास स्थल तक उनके स्वयं आने जाने व उनके सार सामान, दुकान के सामान को ले जाने हेतु परियोजना के खर्च पर परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी या एक मुश्त 20,000/- की राशि दी जाएगी जिसे लिए प0प्र0प0/दुकानदार अपनी इच्छा बता सकते है।
- 5.6 स्टॉम्प शुल्क आदि पंजीकरण हेतु केवल परियोजना आदेशक द्वारा ही देय होंगे। पुनर्वास अनुदान भी परियोजना आदेशक द्वारा पात्र प0प्र0प0 को वितरण हेतु जिलाधीश के पास उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.7 यदि परिवार बेघर हो जाता है या भूमि विहीन हो जाता है और उसे आजीविका हेतु अन्य स्थान पर जाना पड़ता है या उसे अपनी आजीविका बदलनी पड़ती है या फिर अनैच्छिक विस्थापन करना पड़ता है। अनावरण/गुजारा मात्र भी 25x12 आधार पर मासिक न्यूनतम आय पर प्रत्येक प्रभावित परिवार को दिया जाएगा।
- 5.8 अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि देना संभव नहीं है परन्तु यदि कुछ कृषि भूमि उपलब्ध हो तो प्रत्येक प0प्र0प0 को भूमिहीन प्राथमिकता के आधार पर 5 बीघे तक भूमि आबंटित की जाएगी। यह केवल उन्हीं परिवारों को दी जाएगी जो पूर्णतया कृषि पर आजीविका हेतु आधारित थे तथा भूमि अधिग्रहण से उनकी आजीविका काफी प्रभावित हुई है। किसी भी अवस्था में अधिगृहीत भूमि से अधिक भूमि नहीं दी जाएगी। कृषि भूमि प्रदान करना भी कोई अधिकार नहीं अपितु यदि जहां कहीं संभव हो यह केवल एक कल्याण स्वरूप ही होगा।

यदि भूमि देना संभव न हो तो रु. 50,000/- प्रति बीघा खेती योग्य भूमि (जोत) और रु 20,000/- गैर जोत भूमि हेतु अधिग्रहण स्वरूप देना होगा, यह खरीद मूल्य की कीमत के अलावा देय होगा। यह सहायता तभी दी जाएगी जब प0प्र0प0 यह साबित कर दे कि खरीदी गई भूमि का मूल्य प0प्र0प0 को प्रदत्त मूल्य से अधिक है और खरीद हेतु उपयोग में लाया गया है (उप धारा 5.8) यदि इस उपनियम के अन्तर्गत बंजर भूमि या अपकृत भूमि खरीदी जाती है तो भूमि विकास प्रभार रु. 15,000/- प्रति बीघा दिया जाएगा। ऐसे प0प्र0प0 जिन्हें भूमि आबंटित की जाती है या जो कृषि भूमि खरीदते हैं वे भी कृषि प्रोत्साहन हेतु 10,000/- की नकद राशि प्राप्त करेंगे। प्रत्येक विस्थापित प0प्र0प0 जिसके पास पशु धन है उन्हें 20,000/- पशुशाला निर्माण हेतु मिलेंगे।

प्रत्येक प0प्र0प0 जो दस्तकार है या छोटा व्यवसायी या स्वरोजगारी है तथा वह विस्थापित हो जाता है तो उसे अपनी कार्यशाला या दुकान निर्माण हेतु 50,000/- की राशि दी जाएगी। जिन लोगों को परियोजना के कारण अपना घर बदलना पड़े तो परियोजना लागत पर 3-6 महीने तक आवश्यकतानुरूप अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा।

#### **5.9 वन भूमि या सरकारी भूमि से आय का नुकसान:**

यदि प0प्र0प0 लघु वनोपज यथा औषधि, चिलगोज़ा आदि पर वनाधिकार हो और सरकारी/वन भूमि अधिग्रहण के कारण उससे होने वाली आय या लाभ से वंचित हो रहे हो तो उन्हें एक मुश्त उचित मुआवजा दिया जा सकता है। यदि कोई एक भाग अधिग्रहीत हो रहा हो तथा पूरा ही विलय हो रहा हो या निर्माण कार्य में लाया जा रहा हो या फिर यह मध्यस्थ क्षेत्र के रूप में बांध या परियोजना स्थल पर यथावत रहे तो उसे उत्पाद प्राप्त करने की अनुमति होगी यदि यह कार्य प0प्र0प0 के हित तथा सुरक्षा में हो।

**टिप्पणी :** उपरोक्त सभी लाभ भूमि अधिग्रहण नियम 1894 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होंगे।

## 6. रोजगार

प्रत्येक प0प्र0प0 जो भूमिविहीन हो रहा हो, से एक सदस्य को परियोजना आदेशक द्वारा कुशल/अर्धकुशल/अकुशल/ कार्यकर्ता के रूप में जब भी इन वर्गों के लिए नई भर्ती की जाएगी, रोजगार दिया जाएगा बशर्ते वह आवश्यक मापदण्ड पूरा करता हो और इसके योग्य हो। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि से बेदखल पात्र लोगों को इस प्रकार रोजगार में प्राथमिकता दी जाए तथा पात्र व इच्छुक इस प्रकार की श्रेणी के उम्मीदवार न मिलने पर ही अन्य लोगों की भर्ती की जाए तथापि जिन लोगों को दुकानें आबंटित की गई है वे रोजगार लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे और जिन लोगों को रोजगार दिया जायेगा उन्हें दुकानें आबंटित नहीं की जाएगी। परियोजना आदेशक के पास रोजगार हेतु नाम प्रस्तावित करते समय प्राथमिकता हेतु संबंधित जिला उपायुक्त इन बातों को ध्यान में रखेंगे:

1. प्रभावित परिवार जिनकी सारी भूमि अधिग्रहीत हो।
2. परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहण से भूमि विहीन प्रभावित परिवार।
3. अन्य प्रभावित परिवार

इन श्रेणियों में अधिग्रहित भूमि की मात्रा के आधार पर ही प्राथमिकता दी जाएगी। जिनकी भूमि का नुकसान अधिक है वे पहले आएंगे:

6. क) यदि कोई परिवार है जिन्होंने अपनी आजीविका का पूरा स्रोत ही खो दिया है और दूसरा व्यवसाय करने की वित्तीय क्षमता नहीं है तथा वैकल्पिक भूमि भी नहीं दी गई है तो परियोजना आदेशक जिला उपायुक्त की संस्तुति पर निर्धारित पुष्टि के बाद विशेष अनुग्रह के आधार पर प्रत्यक्ष रोजगार देने पर भी विचार कर सकती है।

6.1 जो प0प्र0प0 प्रत्यक्ष रोजगार हेतु पात्र है परन्तु उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है उन्हें प्रत्येक परिवार आधार पर 1000 दिन का न्यूनतम वेतन के समकक्ष विशेष पुनर्वास/रोजगार अनुदान दिया जाएगा। (रोजगार से तात्पर्य है परियोजना निर्माण

कार्य संगठन में नियमित रोजगार) प0प्र0प0 को सीधे रोजगार के लिए विकल्प हेतु प्रतीक्षा करने के लिए भी कहा जा सकता है।

- 6.2 असुरक्षित वर्ग ऐसे लोग जैसे कि अपंग, अशक्त, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियां,(वितीय संसाधन विहीन/बेसहारा) परित्यक्ता या 50 साल से उपर के निर्धन लोग (बेसहारा) जिन्हें न तो प्रदान किया गया है और न ही तुरन्त वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सकती हो और जो अन्यथा परिवार का अंग न हो ऐसे व्यक्तियों को रु. 1000/- प्रति माह पेंशन प्रति परिवार पु0पु0 योजना के क्रियान्वयन की तिथि के 5 वर्ष पश्चात से प्रारम्भ होकर अगले 10 वर्ष तक जारी रहेगी। इस प्रकार के असुरक्षित प0प्र0प0 की पहचान इस योजना के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा की जाएगी।

### 6.3 अप्रत्यक्ष रोजगार

प0प्र0प0 को परियोजना में प्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त निम्न माध्यमों से अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का भी प्रयास किया जाएगा।

- 6.3.1 परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों तथा परियोजना परिक्षेत्र में अन्य प्रभावित निवासियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपने अध्ययन को जारी रखने हेतु परियोजना आदेशक हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार विमर्श द्वारा प्रारूपित की जाने वाली मेरिट/उत्तमता छात्रवृत्ति के अनुरूप योजना भी जारी की जाएगी। परियोजना आदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य संस्थानों में परियोजना प्रभावित व अन्य वासियों के लिए अतिरिक्त सीटें जुटाने का प्रयास करेगी। कार्य के दौरान बेहतर क्षमता निर्माण हेतु भी कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना प्रभावित लोगों के लिए चलाए जाएंगे ताकि उनके बेहतर रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए भी मेरिट छात्रवृत्तियां शुरू की जाएगी।



6.3.2 परियोजना आदेशक पात्र परिवारों के सहयोग संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर छोटे ठेके भी देगी ताकि उन्हें किसी कार्य में लगाया जा सके। साथ ही निर्माण चरण में ठेकेदारों को भी प्रभावित परिवारों के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राथमिकता से रखने की हिदायत देगी। अन्य रोजगार यथा प0प्र0प0 के वाहनों को किराए पर लेना आदि भी किया जाएगा। सामान्यतः 5 लाख तक के सभी ठेके प0प्र0प0 को दिये जाएंगे, यदि प0प्र0प0 उपलब्ध न हो तो परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र के अन्य वासियों ये वाहन किराए पर लिए जाएंगे। इस प्रकार प0प्र0प0 से 3+1 वर्ष अवधि हेतु नए वाहन किराए पर लिये जा सकते हैं।

6.3.3. प0प्र0प0 (यथा लघु ग्रामीण दस्तकार/छोटे व्यापारी व स्व रोजगार में लगे लोग) स्वयं रोजगार चलाने हेतु भी सहायता दी जाएगी, इसमें दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बुनाई, बेकरी, हस्तशिल्प, लघु घरेलू उद्योग इकाईयां, दुकानें तथा निगम द्वारा वाहन किराए पर लेना शामिल है। इन कार्यों के लिए परियोजना द्वारा 50,000/- रु. प्रति परिवार की बीज राशि भी देना शामिल है। यह अनुदान केवल एक बार ही दिया जाएगा। केवल वे ही प0प्र0प0 इस अनुदान हेतु पात्र होंगे जिन्हें परियोजना में रोजगार या दुकान आंबटन न किया गया हो।

प0प्र0प0 के अलावा परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्य परिवार भी इस योजन में शामिल किये जा सकते हैं।

## स्पष्टीकरण

इस अनुदान की पात्रता हेतु ग्रामीण दस्तकारों लघु दुकानदारों व स्व-रोजगारी लोगों के आय स्रोत पर पड़ने वाले प्रभाव की पुष्टि जिला उपायुक्त करेंगे।

6.3.4 प0प्र0प0 तथा अन्य मछली पकड़ने वाले जिनके मत्स्य आखेट के अधिकार हैं वे भी इस योजना में शामिल होंगे।

6.3.5 यदि परियोजना आदेशक द्वारा परियोजना निर्माण चरण में या संचालन चरण में किसी बाह्य स्रोत से मानव संसाधन लिय जाते हैं, तो विशेषकर आवास, रख-रखाव माली, टाइपिस्ट रख-रखाव, कम्प्यूटर कार्य, तथा कार्यालय सहायक आदि सेवाओं में प0प्र0प0 को ही ठेकेदार व कार्मिक के रूप में ठेकेदारों द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। यदि प0प्र0प0 इच्छा न रखते हो तो परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र के दूसरे निवासियों को स्वीकृति दी जा सकती है।

## **7. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बद्ध लोगों के लिए प0प्र0प0 लाभ:**

7.1 यदि परियोजना के कारण लोगों की पहुंच वनों तक रुक जाती है तो मार्ग, तथा ईंधन व गैर इमारती लकड़ी व वन उत्पाद हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

7.2 यदि प0प्र0प0 को आबंटन हेतु भूमि उपलब्ध हो तो पहली प्राथमिकता अनुसूचित जन जाति व उसके बाद अनुसूचित जाति को दी जाएगी।

7.3 प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार 500 दिनों के न्यूनतम वेतन के समकक्ष एक मुश्त वित्तीय सहायता वन उत्पादों के प्रयोग से वंचित होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त करेगा।

7.4 अनुसूचित जन जाति के प0प्र0प0 को यथा संभव उसी अनुसूचित क्षेत्र में पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे अपनी विशिष्ट पहचान भाषायी व सांस्कृतिक पहचान बनाए रखे।

7.5 प्रत्येक पुनर्स्थापित अनुसूचित जनजाति कॉलोनी में 1000 वर्ग मी. भूमि सामुदायिक एवं धार्मिक गतिविधियों हेतु दी जाएगी।

7.6 जिले से बाहर पुनर्स्थापित अनुसूचति जनजातियों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्स्थापना भत्ता मिलेगा।

## 8. अन्य लाभ:

8.1 परियोजना शुरू होने के बाद प्रत्येक प0प्र0प0 को 100 यूनिट बिजली प्रति माह 10 साल तक निःशुल्क दी जाएगी यदि प0प्र0प0 इससे कम बिजली की खपत करता है तो उसके स्थान पर नकद राशि दी जाएगी।

8.2 स्वास्थ्य कोष/धन:प0प्र0प0 के लिए एक स्वास्थ्य कोष भी बनाया जाएगा। यह कोष प0प्र0प0 के परिवार सदस्यों को अति बीमारी, कठिनाई या दुर्घटना आदि की स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को दवाईयों भी इस कोष से दी जा सकती है।

8.3 परियोजना स्वास्थ्य सुविधा से प0प्र0प0 को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।

8. परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र में समय-समय पर स्वास्थ्य सेवा शिविर भी लगाए जायेंगे।

8.5 परियोजना प्रभावित क्षेत्र में निवास कर रहे प0प्र0प0 के कौशल वर्द्धन के लिए कृषि, वानिकी, पशुपालन आदि में प्रशिक्षण व जागृति शिविर भी समय-समय पर परियोजना आदेशक द्वारा लगाए जाएंगे। अन्य विषयों यथा वित्त लेखा आदि पर प्रशिक्षण, लघु व्यवसाय, रोजगार के विकल्प आदि पर प्रशिक्षण शिविर समय-समय पर लगाए जाएंगे।

8.6 परियोजना निर्माण से यदि प0प्र0प0 को ईंधन आपूर्ति में कोई बाधा आती है तो वैकल्पिक ईंधन या ईंधन बचत यन्त्र भी प्रभावित परिवारों को प्रदान किया जाएगा।

8.7 प0प्र0प0 को एक पहचान पत्र भी दिया जाएगा। जिसमें सभी प0प्र0प0 सदस्यों के नाम होंगे।

8.8 परियोजना आदेशक परियोजना क्षेत्र में प0प्र0प0 को सूचना हेतु एक या अधिक परियोजना सूचना केन्द्र स्थापित करेगी।

8.9 स्थानीय मेलों, उत्सव व अन्य गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक कोष की स्थापना भी की जाएगी।

## 9. आधारभूत ढांचा

क्षेत्र में परियोजना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित किया जाएगा की परियोजना से क्षेत्र में उपलब्ध ढांचो का सुधार किया जाएगा।

9.1 परियोजना कार्य से यदि कोई ढांचा क्षतिग्रस्त होता है इसको पुनः स्थापित किया जाएगा। इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, सड़कें, रास्ते, स्कूल, पूजा स्थल व सामुदायिक भवन आदि शामिल होंगे।

9.2 परियोजना हेतु निर्मित सभी संसाधन/ढांचे यथा सड़के, पुल व स्कूल आदि क प्रयोग स्थानीय जनता कर सकती है।

9.3 परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) नाम से स्थानीय ढांचे के विकास हेतु कोष स्थापित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत का 1.5 प्रतिशत अंश का इसमें योगदान दिया जाएगा। इस कोष को समुचित सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास समिति द्वारा खर्च किया जाएगा। इस स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का 80 प्रतिशत अंश स्थानीय पंचायतों जो

परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं में निम्न 3 आधार/फार्मूले पर बांट दिया जाएगा।

- 1) परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या
- 2) अधिग्रहीत क्षेत्र
- 3) भूमिगत कार्य का परिणाम व उत्पन्न असुविधा

शेष 20 प्रतिशत राशि का प्रयोग सार्वजनिक कार्य हेतु, अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु तथा परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाएगा।

- 9.4 स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त भी परियोजना आदेशक आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगी जिसका लाभ भी स्थानीय लोगों को मिलेगा।